"प्रमाणित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष .....के सभी कटौत्रे और अग्रिम/विकर्षण की प्रविष्टियां पास बुक में की गई है।"

(6) यदि वित्तीय वर्ष के दौरान शासकीय सेवक का स्थानान्तरण होता है तो इसी तरह का प्रमाण-पत्र दर्ज किया जाय।

(7) अग्रिम/विकर्षण के आहरण के बाद रकम के वितरण के पहले इसकी प्रविष्टियां पास बुक में करने की जिम्मेदारी आहरण अधिकारी की होगी।

(8) पार्ट फायनल तथा नियम 15 के उपनियम (1), (2) तथा (3) के अधीन स्वीकृत किये जाने वाले अस्थाई अग्रिम की स्वीकृति के लिये पास बुक को आधार माना जा सकता है।

(9) नियम 15 के उपनियम (4) और (5) के लिये महालेखाकार द्वारा जारी अंतिम लेखा पर्ची तथा उसके आगे पास बुक की प्रविष्टियों को आधार मानकर अग्रिम स्वीकृत किया जा सकता है।

(10) महालेखाकार के दल द्वारा, स्थानीय निरीक्षण दल द्वारा और कोष एवं लेखा के निरीक्षण दल द्वारा आडिट के दौरान पास बुकों का सत्यापन किया जायगा।

(11) आहरण अधिकारी का यह उत्तरदायित्व होगा कि वे प्रत्येक वर्ष महालेखाकार कार्यालय से प्राप्त वार्षिक लेखा पर्ची के बैलेंस का मिलान पास बुक से करें। विसंगति पाये जाने पर कार्यालय प्रमुख एक दल भेजकर मिलान कार्य करवायें। लेखा पर्ची प्राप्त न होने की दशा में महालेखाकार कार्यालय से पत्र व्यवहार किया जाय तथा दल भेजकर मिलान कार्य कराया जाय।

(12) इस संबंध में पूर्व में जारी समस्त निर्देश/परिपत्र निरस्त कर दिये गये हैं।

[वित्त विभाग क्रमांक जी-25/31/95/सी/चार, दिनांक 16-4-96]

10. सामान्य भविष्य निधि से अस्थाई अग्रिम

निम्नलिखित में से किसी एक उद्देश्य हेतु अग्रिम स्वीकृत किया जा सकता है :—

(ए) प्रार्थी, प्रार्थी के परिवार के किसी भी सदस्य अथवा प्रार्थी पर वास्तविक रूप से आश्रित किसी व्यक्ति की गम्भीर या लम्बी बीमारी के सिलसिले में की गई यात्रा सहित खर्चों के भुगतान हेतु।

टिप्पणी:- अभिव्यक्ति "खर्चे जो गम्भीर अथवा लम्बी बीमारी के सिलसिले में किये गये है", में कृत्रिम दांत तथा श्रवण यंत्रों पर किये गये व्यय भी शामिल है।

(बी) प्रार्थी अथवा प्रार्थी की पत्नी की प्रसूति के सिलसिले में किये गये खर्चों के भुगतान हेतु, बशर्ते कि प्रार्थी के दो से अधिक जीवित बच्चे नहीं हों।

(सी) यात्रा व्यय सहित भारत के बाहर प्रार्थी के, प्रार्थी के परिवार के किसी भी सदस्य के अथवा प्रार्थी पर वास्तविक रूप से आश्रित किसी व्यक्ति की शिक्षा के खर्चे की पूर्ति हेतु।

(डी) भारत में हाई स्कूल स्तर के ऊपर प्रार्थी के, प्रार्थी के परिवार के किसी भी सदस्य अथवा प्रार्थी पर वास्तविक रूप से आश्रित किसी सदस्य की तकनीकी या विशेषीकृत पाठ्यक्रम पर यात्रा व्यय सहित शिक्षण के खर्चे की पूर्ति हेतु।

(ई) अनिवार्य खर्चों की पूर्ति हेतु जो कि परम्परागत रीति-रिवाज से प्रार्थी को सामाजिक अथवा धार्मिक संस्कार के सम्बन्ध में व्यय करना पड़ते है।

(एफ) शासकीय धन की हानि की पूर्ति करने हेतु।

(जी) फौजदारी मामले में अभिदाता का बचाव के सिलसिले में खर्चे की पूर्ति हेतु।

(एच) अभिदाता के विरुद्ध उसके कार्यालयीन कर्तव्य निर्वाह के सम्बन्ध में किये गये कृत्य का अभिप्रदाय होने पर स्वयं की स्थिति निर्दोष सिद्ध करने कि लिए अभिदाता द्वारा स्थापित वैधानिक कार्यवाही के खर्च की प्रतिपूर्ति। इस मामले में अग्रिम इसी योजनार्थ अन्य किसी शासकीय स्रोत से प्राप्त अग्रिम के अलावा होगा।

परन्तु उस अभिदाता को अग्रिम स्वीकार्य नहीं होगा, जो किसी विधि सम्मत न्यायालय में या तो किसी ऐसे मामले के सम्बन्ध में वैधानिक कार्यवाही संस्थापित करता है जो कि उसके कार्यालयीन कर्तव्य निर्वाह से सम्बन्धित नहीं है अथवा किसी सेवा शर्त या उसे दिये गये दण्ड पर शासन के विरुद्ध हो।

(आई) जब किसी विधि न्यायालय में किसी निजी व्यक्ति द्वारा अभिदाता के विरुद्ध उसके कार्यालयीन कर्तव्य निर्वाह के सम्बन्ध में कार्यवाही प्रारम्भ की गई हो, के बचाव की पूर्ति हेतु।

(जे) वित्त संहिता भाग-1 के नियम 282 के अन्तर्गत अभिदाता से जमानत की राशि देने की अपेक्षा की गई है, की पूर्ति हेतु।

(के) निवास के प्रयोजनार्थ भूखण्ड, फ्लेट या मकान के मूल्य की पूर्ति हेतु या इसी प्रयोजन हेतु आवंटन कराने हेतु अग्रिम जमा करने के लिए।

पुनः अग्रिम की पात्रता- विशेष कारणों के अलावा, नियम 15 के उपनियम (1) के अन्तर्गत अग्रिम तब तक स्वीकृत नहीं किया जायेगा जब तक कि पूर्व में लिया अग्रिम पूर्णतः चुकता होने के बाद कम से कम 12 माह और न व्यतीत हो गये।

विशेष कारण- केवल शादियां तथा गम्भीर बीमारियां जैसे उद्देश्य ही **"विशेष कारण"** माने जायेंगे। [नियम 15 के उपनियम (2) के नीचे टिप्पणी]

11. वित्तीय सीमा

तीन माह के वेतन के बराबर राशि से अधिक नहीं अथवा अंशदाता के खाते में जमा के आधे से अधिक नहीं अस्थायी अग्रिम, स्वीकृतकर्ता अधिकारी के विवेक पर स्वीकृत किया जा सकता है।

[नियम 15 (1)]

वित्तीय अनुशासन संबंधी अनुदेश

नये पुनरीक्षित वेतनमान, 1998 में वेतन प्राप्त कर रहे अभिदाताओं को अस्थाई अग्रिम की सीमा

समूह	पुनरीक्षित वेतनमानों का समूह	सामान्य भविष्य निधि से स्वीकृत की जाने वाली अधिकतम राशि
(1)	(2)	(3)
प्रथम	2550-3200 2610-3540 2750-4400 3050-4590	तीन माह का मूल वेतन अथवा रु. 7500/-, जो भी कम हो।